न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 41/22

GCMS NO 2022/68

1. मुरारी पुत्र गोविन्द
2. कालू पुत्र कन्हैया
3. सोनू पुत्र कन्हैया
4. तीजो बेवा कन्हैया समस्त जातियान बैरवा निवासीयान ग्राम अमावरा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. नाथ्या पुत्र गेन्दया
2. मुरया दत्तक पुत्र मूल्या
3. नन्दलाल पुत्र नाथ्या
4. लक्ष्मण पुत्र नाथ्या जातियान बैरवा निवासीयान ग्राम अमावरा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर
5. प्रेम पुत्री गेन्दया पत्नि कजोडया जाति बैरवा हालवासी गुढाचन्द्रजी
6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील बामनवास

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 2/12 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.5.16 न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम मोहन शर्मा

अभिभाषक रेस्पो0 श्री आर.डी.त्रिवेदी, श्री योगेश शर्मा

दिनांक 14.5.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.5.16 न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद पत्र इन्द्राज दुरूस्ती विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व मूल्या दत्तक पुत्र मूल्या व श्रीमती धापा पत्नि गेदया जाति बैरवा इस आशय का पेश किया कि वादी और प्रतिवादी संख्या 2 एक ही पूर्वज की संताने है एवं प्रतिवादिया संख्या 3 वादी की मां है। वादी के सगे बाबा जीवण दो भाई थे। दुसरे भाई का नाम नानगा था एवं जीवण के दो लडके गेदया व मूल्या हुए। चूकि मूल्या के कोई संतान नही थी इसलिए मूल्या ने सामाजिक रितीरिवाज के अनुसार मूस्या पुत्र गेदया को गोद ले लिया। मूल्या व उसकी पत्नि फाबूली का निधन हो चुका है। मूल्या की समस्त चल अचल सम्पति पर प्रतिवादी संख्या 2 मूस्या ही काबिज है व मूल्या की खातेदारी की भूमि मे मूस्या का नाम बतौर खातेदार दर्ज हो चुका है। वादी के सगे पिता गेदया के दो पुत्र वादी स्वयं व मुस्या हुए दूसरा पुत्र मुस्या अपने चाचा मूल्या के यहॉ गोद चला गया इस प्रकार जीवण की खातेदारी भूमि मे हिस्सा 1/2 वादी नाथ्या व उसकी मां प्रतिवादी संख्या 3 का है व 1/2 हिस्सा मूल्या के दत्तक पुत्र मूस्या का है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

जाना आवश्यक है। वादी के पिता व प्रतिवादिया संख्या 3 के पति गेदया का निधन अव से करीब 40 वर्ष पूर्व हो चुका है। गेदया की समस्त चल अचल सम्पति पर वादी और उसकी मां श्रीमती धापा ही बतौर स्वामी काबिज है। वादी ने अपने नाम खातेदारी विरासत का नामा0 खुलवाने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया कि जमावंदी मे वादी के पिता का नाम गेदया के स्थान पर गोविन्दा दर्ज मिला वादी के पिता का नाम गेदया ही है। सवंधित सरकारी कर्मचारी की गलती से जमाबंदी मे गेदया के स्थान पर गोविन्दा दर्ज हो गया है जिसको भी दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। हाल खसरा न0 2823,2824,2846,2849 एवं 2850 कुल किता 6 कुल रकबा 1.22 है0 वाके ग्राम अमावरा तहसील बामनवास स्थित है। जिसमे 1/2 हिस्सा वादी एवं उसकी मां प्रतिवादिया संख्या 3 का 1/2 एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 मूस्या का है। वादी द्वारा सरकारी रिकार्ड मे जहॉ भी खातेदार गोविन्दा पुत्र जीवण अंकित है उसके स्थान पर गेदया पुत्र जीवण अंकित किये जाने व उक्त आराजी का मीटस एण्ड वाउन्डस मे विभाजन किया जाना आवश्यक है। अतः आराजी खसरा न0 2823,2824,2846,2849 एवं 2850 कुल किता 6 कुल रकबा 1.22 है0 वाके ग्राम अमावरा तहसील बामनवास की खातेदारी व अन्य सरकारी रिकार्ड मे जहॉ जहॉ भी खातेदार गोविन्दा पुत्र जीवण अंकित है , का इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर गेदया पुत्र जीवण अंकित किये जाने व रिकार्ड दुरूस्ती की जावे तथा उक्त आराजीयात का मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर विभाजन किया जाकर 1/2 हिस्से की खातेदारी वादी व उसकी मॉ प्रतिवादिया संख्या 3 के नाम व शेष 1/ हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 मूस्या के नाम दर्ज की जाकर मौके पर विभाजित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा गई। अधिनस्थ न्यायालय मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर मुताबिक राजीनामा वादी का वाद पत्र डिक्री किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं तथ्यो से परे होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत ने अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर उपरोक्त अपीलाधीन आदेश साक्ष्य एवं मौके व कब्जे के विपरीत जाकर अपीलांट से छिपाते हुए धोखे मे रखकर विधि विरुद्ध तरीके से कानूनी प्रावधानो के विपरीत जाकर पारित कर दी प्रतिवादीगण ने न्यायालय से साज कर जल्दबाजी मे उपरोक्त निर्णय तहत न्यायालय से पारित कराया है। इसका सबसे बडा प्रमाण यह है कि राजस्व रिकार्ड जमाबदी मे दर्ज अपीलांट के पिता गोविन्द पुत्र नानगा का नाम हजफ किये जाने का आदेश निराधार तथ्यो पर साक्ष्य के

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अभाव मे पारित किया है। वाद मे वर्णित आराजी अपीलांट के पिता एवं पूर्वज गोविन्द पुत्र नानगा की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है तथा उक्त आराजी पर अपीलांटगण अपने पिता के जीवनकाल से ही आज दिनांक तक काबिज काश्त रहकर लाभान्वित चले आ रहे है। तहत न्यायालय ने रेस्पो0 ने आपस मे साजकर फर्जी राजीनामा पेश कर उक्त निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व तरीके से पारित की है इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। वादी नाथ्या ने गोविन्दा के पुत्र मुरारी एवं अन्य शेष वारिसान को पक्षकार बनाये बिना मूल्या व धापा को पक्षकार बनाकर उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जबकि साबिक समस्त राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2016–18, 2022–2025 से साबित था कि वाद मे वर्णित आराजी गोविन्दा बैरवा की खातेदारी कब्जे क़ाश्त की भूमि है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय व सुनवाई के दौरान अपीलांटगण को किसी प्रकार का साक्ष्य सुनवाई का किसी प्रकार का अवसर प्रदान नही किया है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्तनीय है। आवंटन आदेश दिनांक 18.7.1975 से भी गोविन्द पुत्र नानगा होने का तथ्य साबित है तथा गोविन्दा की विरासत का नामा0 विरासत का इस जमीन का नही खोला गया क्योकि स्टे था। प्रार्थी को इसकी सूचना नही थी तथा प्रतिवादीगण रेस्पो0 ने आपसी साजकर उक्त डिक्री का राजस्व रिकार्ड मे अंकन कराकर वाद मे वर्णित आराजी को जरिये रजिस्ट्री नन्दलाल व लक्ष्मण को कर दी। जबकि वरवक्त रजिस्ट्री केता नन्दलाल मौजूद ही नही था। वह तो विदेश मे था, इससे स्पष्ट है कि उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही अपीलांटगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि को हडपने की गरज से सम्पादित की गई है। इस प्रकार की डिक्री से कोई हक व अधिकार हासिल नही होते है तथा रेस्पो0 का जो राजीनामा प्रस्तुत हुआ उसमे 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित होने की हद तक किया है जबकि वादी नाथ्या द्वारा वाद पत्र विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का था। जबकि तहत न्यायालय ने ना तो उक्त भूमि का बंटवारा किया ना किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की। क्योकि टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के तहत यदि मौके पर जाकर बंटवारा स्कीम तैयार होती तो सब स्थिति पूर्व मे ही न्यायालय के समक्ष आ जाती । प्रकरण मे किसी प्रकार की कोई प्रारंभिक डिक्री जारी नही की गई तथा गोविन्दा की जगह एक मात्र निवेदन करने पर खातेदारी परिवर्तित की है इसके संदर्भ मे किसी प्रकार का कोई राजस्व रिकार्ड या मौखिक साक्ष्य या अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादी द्वारा पेश नही की है ना ही तहत न्यायालय ने अपने निर्णय मे कोई विवेचना दी है, इस कारण अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। जीवण व नानगा दो आपस मे सगे भाई जीवण के दो पुत्र गेदया व मूल्या है मूल्या लाऔलाद फोत हो चुका है तथा गेदया का पुत्र मुस्या, मूल्या के गोद चला गया तथा गेन्दया का एक पुत्र नाथ्या उसके पास रहा इसी अनुरूप नानगा के एक मात्र गोविन्दा तथा गोविन्दा के दो पुत्र अपीलांट मुरारी व कन्हैया रहे है कन्हैया फोत हो चुका जिसके कालू व सोनू तथा उसकी बेवा तीजो है जो कि अपीलांट है। वाद मे वर्णित आराजी गोविन्दा पुत्र नानगा की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है जिससे की जीवण के वारिसान का कोई सबंध वास्ता नही है। प्रतिवादीगण द्वारा की गई फर्जकारी की एफ आई आर दर्ज करा दी गई है इन तथ्यो पर गौर किये बिना उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांटगण प्रत्यक्ष तौर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

पर एग्रीवड है तथा उक्त आराजीयात पर अपीलांटगण अपने पिता के जीवन काल से काबिज काश्त रहकर लाभान्वित होते चले आ रहे है। रेस्पो0 ने आपस मे साज करके उक्त निर्णय व डिक्री प्राप्त की है इस प्रकार के आदेश से रेस्पो0 को कोई हक एवं अधिकार हासिल नही होते है। तहत न्यायालय मे अपीलांटगण को जानबूझकर पक्षकार नही बनाया है लिहाजा अपीलांटगण को अपील पेश करने की स्वीकृति दिया जाना न्यायोचित है । उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांटगण को दिनांक 8.5.22 को केता रेस्पो0 मौके पर आये और उन्होने कहा कि यह जमीन हमने खरीद ली है जब इस पर अपीलांट ने कहा कि ये तो मेरे पिता गोविन्दा की खातेदारी की जमीन है इस पर उन्होने बताया कि तुम्हारे पिता का नाम हजफ न्यायालय से हो चुका है अब इस जमीन को मत जोतना । जिस पर अपीलांटगण द्वारा नकल प्रार्थना पत्र तहत न्यायालय मे पेश कर दिनांक 12.5.22 को निर्णय व अन्य दस्तावेजात की नकल प्राप्त की गई जब जानकारी होने पर जानकारी के आधार पर अपील अन्दर मियाद धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है। अतःअपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तहत न्यायालय निरस्त फरमाया जावे तथा वाद मे वर्णित आराजीयात की पूर्ववत रहे इन्द्राज अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस मे तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति दिये जाने के आधार पर तहत न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत अमावरा मे पारित की गई है। जिसकी कानूनन अपील पोषनीय नही है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादी एवं प्रतिवादी द्वारा साजकर निर्णय व डिक्री पारित कराई है जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा प्रस्तुत किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामे के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन मिथ्या है कि राजीनामा फर्जी था जिसके सबंध मे एफ आई आर दर्ज कराई गई है परन्तु अपीलांट द्वारा तथाकथित एफ आई आर के सबंध मे कोई दस्तावेज पेश नही किया है। इस प्रकार अपीलांट का उक्त कथन साबित नही है। वादग्रस्त आराजीयात पर वादी एवं प्रतिवादीगण को अपने अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है। अपीलांट का उक्त वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही रहा है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र मे प्राथमिक डिक्री जारी नही की गई । इस सबंध मे यह उल्लेनीय है कि पक्षकारो द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किये जाने की स्थिति मे प्राथमिक डिक्री जारी करने की कोई आवश्यकता नही होती है केवल मात्र राजीनामा के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर दावा वादी डिक्री किया है। आपसी सहमति के आधार पर पारित किये गये निर्णय व डिक्री मे स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत है, जिसके कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा के सबंध मे किसी प्रकार का आदेश पारित नही किया है। वादग्रस्त आराज़ीयात में अपीलांट का किसी प्रकार का हक एंव अधिकार निहित नही है। इसलिए अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नही की जा सकती।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलांट द्वारा निराधार तथ्यो के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर एवं राजीनामे के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा न0 2823,2824,2846,2849 एवं 2850 कुल किता 6 कुल रकबा 1.22 है0 वाके मौजे अमावरा तहसील बामनवास मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2064–67 व 2068 से 2071 मे फाबूली पत्नि मूल्या हिस्सा 1/2, गोविन्दा पुत्र जीवन हिस्सा 1/2 जाति बैरवा सा. देह खातेदार दर्ज है। फाबूली बेवा मूल्या की मृत्यु के उपरान्त विरासत का नामा0 संख्या 1450 दिनांक 20.10.11 को मुस्या पुत्र मूल्या हिस्सा 1/2 के नाम स्वीकार हुआ है। जिसका नोट जमाबंदी सम्वत 2068–71 मे अंकित है। मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2064–67 व 2068 से 71 मे अपीलांट के पिता गोविन्दा का 1/2 हिस्सा दर्ज है। जबकि वादी द्वारा खातेदार गोविन्दा के वारिसान को अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही बनाया है। इस तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी अनदेखा किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से अपीलांटगण के हक एंव अधिकार प्रभावित होना साबित है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 96 के प्रावधानो के अन्तर्गत पोषनीय है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है कि प्रकरण मे गोविन्दा पुत्र नानगा के विधिक वारिसान को आवश्यक पक्षकार बनाते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के प्रकरण संख्या 2/12 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.5.16 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे मृतक गोविन्दा पुत्र नानगा बैरवा के विधिक वारिसान को आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर, उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.6.2026 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 14.5.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर